

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज घनश्याम बनाम लो.सू.अ. (प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या : 04 / 2022	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01-02-2022	<p>अपीलार्थी घनश्याम पुत्र श्रीराम, पता प्लॉट नं. 5, पूर्वी आरती नगर, पाल गांव के पास, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 19.09.2021 में उसके द्वारा (1) राजस्थान में सेटलमेंट कमिश्नर या सेटलमेंट आयोग या सेटलमेंट हेतु संस्था या आयोग कब गठित हुआ और आयोग या संस्था का नाम क्या है व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (सेटलमेंट ऑफिस जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 105 दिनांक 06.12.2021 लोक सूचना अधिकारी व अपर जिला कलक्टर (भू.अ.) जोधपुर को अतरित किया था तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख जोधपुर) से जरिये पत्रांक 887 दिनांक 20.01.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दु संख्या 5 से संबंधित सूचना तैयार कर व बिन्दु संख्या 1 से 4 से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी प्रथम जोधपुर कार्यालय से संबंधित होने से प्रार्थना पत्र पुनः धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 588 दिनांक 12.01.2022 स्थानान्तरित करते हुए बिन्दु संख्या-5 की सूचना भी प्रार्थी को उपलब्ध कराने हेतु भिजवाई गई।</p> <p>चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु सं० 5 से संबंधित सूचना इस कार्यालय से संबंधित होने से सूचना तैयार कर लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी प्रथम जोधपुर को भेजते हुए बिन्दु सं० 1 ता 4 से संबंधित सूचना उनके कार्यालय की होने से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है अतः लोक सूचना अधिकारी (सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को बिन्दु संख्या-1 ता 5 से संबंधित सूचना शीघ्र उपलब्ध करवाकर आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	